विविध बैंक प्रकरण संख्या 124/2019 (RCMS 2019/00219) भारतीय स्टेट बैंक जरिये विनीत बंसल प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक शाखा नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. मैसर्स रतन वॉच हाउस एंड मोबाइल सेंटर प्रो. श्री मदन मोहन पुत्र उग्रसेन निवासी मैन बाजार (बस स्टैंड), नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर एवं वार्ड नं. 1, गुरदयाल कॉलोनी, चक 3 एसटीआर, घडसाना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मै. रतन वॉच हाउस एंड मोबाईल सेंटर – प्रो. श्री मदन मोहन को ऋण सुविधा के रूप में 14.50 लाख रूपये (अखरे रूपये चौदह लाल पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 18.10.2016 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मै. रतन वॉच हाउस एवं मोबाईल सेंटर – प्रो. मदन मोहन का प्लॉट नं. 46, बुक नं. 25, वार्ड नम्बर 01, गुरदयाल कॉलोनी, चक 3 एसटीआर, घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 26.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.04.2019 को 14,78,432/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.05.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. रतन वॉच हाउस एवं मोबाइल सेंटर –प्रो. मदन लाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति का प्लॉट नं. 46, बुक नं. 25, वार्ड नम्बर 01, गुरदयाल कॉलोनी, चक 3 एसटीआर, घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. रतन वॉच हाउस एवं मोबाईल सेंटर –प्रो. मदन मोहन को 14.50/–लाख रूपये (अखरे रूपये चौदह लाख पचास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 18.10.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में मदन मोहन द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का प्लॉट नं. 46, बुक नं. 25, वार्ड नम्बर 01, गुरदयाल कॉलोनी, चक 3 एसटीआर, घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 26.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 02.05.2019 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट जारी किये गए है, की रसीद एवं पोस्ट ऑफिस के पत्र जिनके अनुसार उक्त धारा 13(2) तामील हुई है पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी मै. रतन वॉच हाउस एवं मोबाईल सेंटर – प्रो. मदन मोहन को उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति प्लॉट नं. 46, बुक नं. 25, वार्ड नम्बर 01, गुरदयाल कॉलोनी, चक 3 एसटीआर, घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट) जो मै. रतन वॉच हाउस एवं मोबाईल सेंटर -- प्रो. मदन मोहन के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.05.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 02.05.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मै. रतन वॉच हाउस एवं मोबाईल सेंटर – प्रो. मदन मोहन के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप धारा 13(2) नोटिस की पावती का पोस्ट ऑफिस का पत्र रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मदन मोहन द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक–शाखा नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल** सम्पत्ति प्लॉट नं. 46, बुक नं. 25, वार्ड नम्बर 01, गुरदयाल कॉलोनी, चक 3 एसटीआर, घडसाना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट) जो कि ऋणी मदन मोहन के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है**। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर